सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4 (1) ख (**xii**)

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों से फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियॉ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583–ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून– 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई–मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल–12

1- गतिविधि के कार्यक्रम का नाम

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं आदि को समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रायोजित धनराशि एवं अन्य सहायता धनराशि अवमुक्त की जाती है। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) के अधिकतर कार्य निर्माण सम्बन्धी परियोजनाएं/पुनर्निर्माण/सौन्दर्यकरण आदि होते हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध विभिन्न विभागों, संगठनों के साथ–साथ आम जनता से भी होता है। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) द्वारा एक जिम्मेदार कार्यदायी संस्था होने के कारण परियोजना निर्माण क्षेत्रों में सामाजिक विकास के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) द्वारा संचालित परियोजनाओं के निकट अविकसित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया जा रहा है। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल इत्यादि सुविधाओं के विकास हेतु निर्माण कार्यों के माध्यम से अपना सहयोग दे रहा है।

2- कार्यक्रम का उदेश्य.

ब्रिडकुल द्वारा सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु कोई विशेष रूप रेखा तैयार नही की गई है परन्तु ऐसे सहायिकी कार्यक्रमों से सम्बन्धित विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त आयोजित किए जाते है ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उदेशय निगम के मूल कार्यो एंव उद्देश्यों के साथ–साथ उत्तराखण्ड की कला एंव संस्कृति के संरक्षण, जन जाग्रती, नशा मुक्ति, प्रशिक्षण, स्वच्छता अभियान इत्यादि कार्य किए जाते है।

3- लाभ प्राप्त करने की प्रकिया

ब्रिडकुल द्वारा अपने मूल उद्देश्यों के सापेक्ष लाभ सेन्टेज के माध्यम से प्राप्त किया जाता है उक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा कोई भी लाभ प्राप्त करने का वर्णन उद्देशिका में उल्लेखित नही हैं।

4- कार्यक्रम / योजना की अवधि

ब्रिडकुल द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा एंव उसकी समय अवधि उक्त कार्यक्रम के आधार पर ही नियमानुसार निर्धारित की जाती है।

5- कार्यक्रम के भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

ब्रिडकुल द्वारा इस प्रकार के प्रायोजित एंव सहायिकी कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्यों के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से समय समय पर संचालित किए जाते है जिनका भौतिक लक्ष्य उत्तराखण्ड में गतिमान परियोजनाओं के कियान्वयन उपरान्त ब्रिडकुल के कार्यो के प्रति आम जन एंव अन्य विभागों के स्तर पर ब्रिडकुल के प्रति सकारातमक दृष्टिकोण बनाए रखना तथा उक्त दृष्टिकोण के सापेक्ष निरन्तर आवंटित परियोजनाओं से वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति किए जाना।

6- सब्सिडी का स्वरूप /पैमाना /आवंटित राशि

ब्रिडकुल द्वारा कोई भी सब्सिडी प्राप्त किए जाने अथ्वा प्रदान किए जाने हेतु कोई विशेष प्रावधान नियत नही किया गया है ब्रिडकुल को कोई भी आय सम्पादित कार्यो के सापेक्ष नियमानुसार सेन्टेज के आधार पर प्राप्त होती है।

7- सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड

ब्रिडकुल को किसी भी प्रकार की सब्सिडी एंव अनुदान केवल उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है जिसमें ब्रिडकुल द्वारा पात्रता हेतु कोई मानदण्ड अथवा रूप रेखा तैयार नही की गई।

8- सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाईल आदि)

ब्रिडकुल द्वारा किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन और कार्यक्रम के सम्पादन के दौरान सब्सिडी प्राप्त करने एंव प्रदान करने का कोई निती निर्धारित नही है विशेष परिस्थितयो एंव कार्यक्रमों के दौरान सक्षम प्राधीकारी की अनुमति से ग्रहण एंव वितरित की जा सकती है।